an>

Title: Need to provide financial assistance to single unmarried women of the age of 40 and above.

श्रीमती पी.के.श्रीमथि टीचर (कन्नूर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष उपस्थित करना चाहती हूं। हमारे देश में ऐसी कई अविवाहित महिलाएं हैं जिनके लिए जीवन जीना बहुत ही कठिन है। वे विधवाओं से भी ज्यादा अकेलापन महसूस करती हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली बहनों तथा गरीबों को कल्याणकारी सहायता दी जा रही है, जैसे विडो पेंशन, डायवोर्स पेंशन इत्यादि। लेकिन, अविवाहित महिलाओं की परिस्थिति बहुत ही दर्दनाक है। वे अपनी कुछ मज़बूरियों के कारण अपनी शादी नहीं करती हैं और अपना जीवन मज़बूरन तन्हा बिताती हैं। एक समय ऐसा आता है, जब उनके परिवारवाले और समाज उन्हें नज़र अंदाज कर देता है। फिर उन्हें मज़बूरन अपने रिश्तेदारों के यहां गुलाम बनकर काम करना पड़ता है। आखिरकार, जब ये बहनें 40 साल, 60 साल से अधिक की हो जाती हैं तो उनका जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह, सिंगल वूमेन की परवाह करने वाला कोई नहीं होता है और सब अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं।

हमारी सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि उन बहनों तथा माताओं के लिए केन्द्र सरकार विचार करे तथा जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है, उन्हें आर्थिक मदद के रूप में कम-से-कम एक हजार रुपये महीने का पेंशन दिया जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER : Shri P. K. Biju, Dr. A. Sampath, Shri P. Karunakaran and Shri Md. Badaruddoza Khan are permitted to associate with the issue raised by Shrimati P.K. Shreemathi Teacher.